



कार्यालय नगर निगम, जोधपुर (दक्षिण)



पोलोटेक्निक कॉलेज, रेजीडेन्सी रोड, जोधपुर
ceo_nnj@rediffmail.com tel 02912651464 fax 2651466

क्रमांक :- 24873

DLB2223SLOB24227

दिनांक :- 28/12/22

—:: पार्किंग नीलामी सूचना ::— पार्किंग स्थलों की खुली बोली

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि नगर निगम जोधपुर दक्षिण के निम्न स्थानों पर पार्किंग स्थान ठेका खुली बोली नीलामी से किया जायेगा। इच्छुक बोलीदाता नीलामी शुल्क धरोहर राशि दिनांक 13.01.2023 को 11:30AM बजे से 3:00PM तक जमा करा सकते हैं। नीलामी कार्यालय नगर निगम जोधपुर दक्षिण के सभाकक्ष में की जायेगी। नीलामी के सदर्थ में संपूर्ण विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	नीलामी स्थान (पार्किंग स्थल)	वाहनों का प्रकार	अवधि	न्यूनतम बोली	धरोहर राशि रुपये	प्रपत्र प्राप्त करने की तिथि	प्रपत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि एवं समय
1	शास्त्री सर्कल प्रथम ब्लॉक	दुपहिया वाहन, चारपहिया वाहन	दो वर्ष हेतु	2,61000/-	20,000/-	दिनांक 13.01.2023 को 3:00PM बजे तक (निविदा प्रपत्र मूल्य 500/- रु.)	दिनांक 13.01.2023 3:00PM बजे तक
2	कल्पतरु सिनेमा के सामने	दुपहिया वाहन, चारपहिया वाहन	दो वर्ष हेतु	6,00,000/-	20,000/-	दिनांक 13.01.2023 को 3:00PM बजे तक (निविदा प्रपत्र मूल्य 500/- रु.)	दिनांक 13.01.2023 3:00PM बजे तक
3	गांधी मैदान मल्टीलेवल पार्किंग, सरदारपुरा, जोधपुर	दुपहिया वाहन, चारपहिया वाहन	एक वर्ष हेतु	21,00,000/-	42,000/-	दिनांक 13.01.2023 को 3:00PM बजे तक (निविदा प्रपत्र मूल्य 500/- रु.)	दिनांक 13.01.2023 3:00PM बजे तक

1. पार्किंग जहां है जैसी है के आधार पर नीलामी की जा रही हैं। नीलामी खुली बोली द्वारा की जायेगी तथा पार्किंग ठेका एक/दो वर्ष के लिए किया जाना है।
2. अन्य व्यक्ति के नाम से बोली लगाने पर नोटरी से तस्दीक सुदा अधिकार पत्र प्रस्तुत करना होगा।
3. नीलामी दिनांक 13.01.2023 को अमानत राशि उपरोक्तानुसार बजे तक ही जमा करा सकते हैं, जो कि नगद/बैंकर चैक/डी.डी. के रूप में ही स्वीकार होगी।
4. खुली बोली नीलामी प्रक्रिया 3:00PM बजे शुरू होगी।

(अरुण कुमार पुरोहित)
I.A.S

आयुक्त
नगर निगम, जोधपुर दक्षिण

दिनांक:- 28/12/22

क्रमांक:- 24874 to 24880
प्रतिलिपि:-

1. निजी सहायक महापौर महोदया नगर निगम जोधपुर दक्षिण।
2. निजी सहायक आयुक्त नगर निगम जोधपुर दक्षिण।
3. अतिरिक्त आयुक्त नगर निगम जोधपुर दक्षिण।
4. लेखाधिकारी नगर निगम जोधपुर दक्षिण।

5. कार्यालय सहायक को भेजकर लेख है कि नीलामी हेतु आवश्यक फर्नीचर इत्यादि की व्यवस्था सुनिश्चित करावें एवं डी.डी.आर. कार्यालय निगम, नोटिस बोर्ड इत्यादि पर चस्पा की व्यवस्था करावें।
6. आई0टी0 टीम को भेजकर लेख है कि निगम की वेबसाईट व www.sppp.raj.nic.in पर विज्ञप्ति अपलोड करावें।
7. प्रधन्ध निदेशक राजस्थान संवाद जयपुर को भेजकर लेख है कि उक्त निलामी सूचना एक राज्य स्तरीय मुख्य दैनिक समाचार पत्र व एक क्षेत्रीय मुख्य दैनिक समाचार पत्र के अगले अंक में न्यूनतम साईज में प्रकाशित कराने का श्रम करावें।


आयुक्त
नगर निगम जोधपुर (दक्षिण)



कार्यालय नगर निगम, जोधपुर (दक्षिण)



पोलोटेक्निक कॉलेज, रेजीडेन्सी रोड, जोधपुर
ceo nnj@rediffmail.com tel 02912651464 fax 2651466

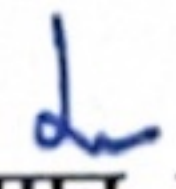
क्रमांक :- 24888

दिनांक :- 28/12/22

—:: शास्त्री सर्कल प्रथम ब्लॉक पार्किंग ठेके की नियम व शर्तें ::—

1. बोलीदाता को बोली में भाग लेने से पूर्व प्रति पार्किंग स्थल राशि 20,000/- रुपये धरोहर राशि निगम रोकड़ शाखा में जमा करानी होगी। पार्किंग ठेका 2 वर्ष के लिए रखा गया है।
2. उच्चतम बोलीदाता को बोली की 1/2 राशि नीलामी समाप्ति के 7 दिवस में डी.डी. अथवा ऑन लाईन प्रक्रिया द्वारा जमा करानी होगी। उच्चतम बोलीदाता द्वारा 1/2 राशि निर्धारित अवधि में जमा कराने में असफल रहने पर उसकी जमा अमानत राशि जब्त समझी जावेगी इसके पश्चात् उच्चतम बोलीदाता के द्वारा दी गई बोली राशि का काउंटर ऑफर द्वितीय उच्चतम बोलीदाता को दिया जावेगा। काउंटर ऑफर द्वितीय बोलीदाता द्वारा स्वीकार करने की स्थिति में 1/2 राशि साथ ही जमा करानी होगी। द्वितीय उच्चतम बोलीदाता द्वारा 1/2 राशि जमा नहीं कराने पर ठेके की पुनः नीलामी की जावेगी।
3. संवेदक द्वारा धरोहर राशि नकद, डिमाण्ड ड्राफ्ट, बैंकर चैक अथवा आरटीजीएस के जरिये जमा करा सकता है।
4. निर्धारित स्थान पर बलियां एवं रस्सी साइन बोर्ड इत्यादि से, वाहन स्टेण्ड बनाकर फुल टाईम समय तक करना होगा।
5. पार्किंग स्थल पर वाहन सुरक्षा की सम्पूर्ण जिम्मेदारी बोलीदाता की होगी। वाहन गुम हो जाने पर बोलीदाता स्वयं व्यक्तिगत रूप से पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा।
6. वाहन स्टेण्ड पर निगम द्वारा निर्धारित दरों का बोर्ड लगाना होगा।
7. वाहन पार्किंग में लगे कर्मचारी मदिरा, धूम्रपान आदि का उपयोग नहीं कर सकेंगे।
8. निर्धारित दरों से अधिक राशि वसूल करने पर अनुबन्ध निरस्त करने का अधिकार नगर निगम जोधपुर दक्षिण को होगा।
9. वाहन स्टेण्ड का ठेका किसी अन्य को सबलेट नहीं किया जायेगा।
10. बोलीदाता का अपना पूर्ण बायोडाटा, मय पहचान पत्र व पैन कार्ड प्रस्तुत करना होगा।
11. स्वीकृत बोली के अतिरिक्त नियमानुसार देय (जी.एस.टी. एवं अन्य कर) का भुगतान करना होगा।
12. विभाग अधिकतम बोली को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है बिना कारण बताये बोली अस्वीकृत की जा सकेगी।

13. अन्य विभाग से किसी प्रकार की प्रशासनिक स्वीकृति/अनुज्ञप्ति आवश्यक होने पर बोली दाता को प्राप्त करनी होगी। सभी कानूनी प्रावधानों का पालन करते हुए स्टेण्ड का संचालन करना होगा।
14. कार्यालय आदेश के तीन दिन के भीतर 500 रुपये के नॉन न्यूडिशियल स्टाम्प पर अनुबन्ध निष्पादित करना होगा।
15. कार्यालय स्टाफ एवं निगम उत्सव के लिए निःशुल्क स्टेण्ड की व्यवस्था करनी होगी।
16. समय-समय पर निगम के अधिकृत अधिकारी/कर्मचारी निरीक्षण कर सकेंगे।
17. निर्धारित स्थल के अलावा अन्यत्र वाहन स्टेण्ड नहीं लगाया जायेगा।
18. प्रत्येक नयी बोली न्यूनतम सरकारी बोली अथवा पूर्व घोषित बोली से 5,000 के गुणांक में ही स्वीकार होगी।


(अरुण कुमार पुरोहित)
I.A.S.
आयुक्त
नगर निगम जोधपुर दक्षिण

उक्त शर्तें मैंने पूर्ण रूप से पढ़ ली हैं,
तथा इन पर मैं अपनी सहमति देता हूँ।

हस्ताक्षर— बोलीदाता
फर्म का नाम/पता.....

.....



कार्यालय नगर निगम, जोधपुर (दक्षिण)



पोलोटैक्निक कॉलेज, रेजीडेन्सी रोड, जोधपुर
ceo_nnj@rediffmail.com tel 02912651464 fax 2651466

क्रमांक :- 24889

दिनांक :- 29/12/22

—:: कल्पतरु सिनेमा के सामने पार्किंग ठेके की नियम व शर्तें ::—

1. बोलीदाता को बोली में भाग लेने से पूर्व प्रति पार्किंग स्थल राशि 20,000/- रुपये धरोहर राशि निगम रोकड़ शाखा में जमा करानी होगी। पार्किंग ठेका 2 वर्ष के लिए रखा गया है।
2. उच्चतम बोलीदाता को बोली की 1/2 राशि नीलामी समाप्ति के 7 दिवस में डी.डी. अथवा ऑन लाईन प्रक्रिया द्वारा जमा करानी होगी। उच्चतम बोलीदाता द्वारा 1/2 राशि निर्धारित अवधि में जमा कराने में असफल रहने पर उसकी जमा अमानत राशि जब्त समझी जावेगी इसके पश्चात् उच्चतम बोलीदाता के द्वारा दी गई बोली राशि का काउंटर ऑफर द्वितीय उच्चतम बोलीदाता को दिया जावेगा। काउंटर ऑफर द्वितीय बोलीदाता द्वारा स्वीकार करने की स्थिति में 1/2 राशि साथ ही जमा करानी होगी। द्वितीय उच्चतम बोलीदाता द्वारा 1/2 राशि जमा नहीं कराने पर ठेके की पुनः नीलामी की जावेगी।
3. संवेदक द्वारा धरोहर राशि नकद, डिमाण्ड ड्राफ्ट, बैंकर चेक अथवा आरटीजीएस के जरिये जमा करा सकता है।
4. निर्धारित स्थान पर बलियां एवं रस्सी साइन बोर्ड इत्यादि से, वाहन स्टेण्ड बनाकर फुल टाईम समय तक करना होगा।
5. पार्किंग स्थल पर वाहन सुरक्षा की सम्पूर्ण जिम्मेदारी बोलीदाता की होगी। वाहन गुम हो जाने पर बोलीदाता स्वयं व्यक्तिगत रूप से पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा।
6. वाहन स्टेण्ड पर निगम द्वारा निर्धारित दरों का बोर्ड लगाना होगा।
7. वाहन पार्किंग में लगे कर्मचारी मदिरा, धूम्रपान आदि का उपयोग नहीं कर सकेंगे।
8. निर्धारित दरों से अधिक राशि वसूल करने पर अनुबन्ध निरस्त करने का अधिकार नगर निगम जोधपुर दक्षिण को होगा।
9. वाहन स्टेण्ड का ठेका किसी अन्य को सबलेट नहीं किया जायेगा।
10. बोलीदाता का अपना पूर्ण बायोडाटा, मय पहचान पत्र व पैन कार्ड प्रस्तुत करना होगा।
11. स्वीकृत बोली के अतिरिक्त नियमानुसार देय (जी.एस.टी. एवं अन्य कर) का भुगतान करना होगा।
12. विभाग अधिकतम बोली को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है बिना कारण बताये बोली अस्वीकृत की जा सकेगी।

13. अन्य विभाग से किसी प्रकार की प्रशासनिक स्वीकृति/अनुज्ञप्ति आवश्यक होने पर बोली दाता को प्राप्त करनी होगी। सभी कानूनी प्रावधानों का पालन करते हुए स्टेण्ड का संचालन करना होगा।
14. कार्यालय आदेश के तीन दिन के भीतर 500 रुपये के नॉन न्यूडिशियल स्टाम्प पर अनुबन्ध निष्पादित करना होगा।
15. कार्यालय स्टाफ एवं निगम उत्सव के लिए निःशुल्क स्टेण्ड की व्यवस्था करनी होगी।
16. समय-समय पर निगम के अधिकृत अधिकारी/कर्मचारी निरीक्षण कर सकेंगे।
17. निर्धारित स्थल के अलावा अन्यत्र वाहन स्टेण्ड नहीं लगाया जायेगा।
18. प्रत्येक नयी बोली न्यूनतम सरकारी बोली अथवा पूर्व घोषित बोली से 5,000 के गुणांक में ही स्वीकार होगी।


(अरुण कुमार पुरोहित)
I.A.S.
आयुक्त
नगर निगम जोधपुर दक्षिण

उक्त शर्तें मैंने पूर्ण रूप से पढ़ ली हैं,
तथा इन पर मैं अपनी सहमति देता हूँ।

हस्ताक्षर— बोलीदाता
फर्म का नाम/पता.....
.....

कार्यालय नगर निगम जोधपुर (दक्षिण)

कमांक :- 24887

दिनांक :- 28/12/22

गांधी मैदान मल्टीलेवल पार्किंग की नियम व शर्तें

01. गांधी मैदान मल्टीलेवल पार्किंग की न्यूनतम सरकारी बोली 21,00,000/- रु. है।
02. गांधी मैदान मल्टीलेवल पार्किंग की ठेका अवधि (01) एक वर्ष है।
03. वाहन पार्किंग पर निर्धारित दरों का बोर्ड लगाना होगा।
04. उच्चतम बोलीदाता को बोली की 1/2 राशि नीलामी समाप्ति के 7 दिवस में डी.डी. अथवा ऑन लाईन प्रक्रिया द्वारा जमा करानी होगी। उच्चतम बोलीदाता द्वारा 1/2 राशि निर्धारित अवधि में जमा कराने में असफल रहने पर उसकी जमा अमानत राशि जब्त समझी जावेगी इसके पश्चात् उच्चतम बोलीदाता के द्वारा दी गई बोली राशि का काउंटर ऑफर द्वितीय उच्चतम बोलीदाता को दिया जावेगा। काउंटर ऑफर द्वितीय बोलीदाता द्वारा स्वीकार करने की स्थिति में 1/2 राशि साथ ही जमा करानी होगी। द्वितीय उच्चतम बोलीदाता द्वारा 1/2 राशि जमा नहीं कराने पर ठेके की पुनः नीलामी की जावेगी।
05. 1/2 राशि जमा होने पर एवं सक्षम स्तर पर स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् संवेदक को अस्थायी लाईसेंस जारी किया जायेगा तथा शेष 1/2 राशि अस्थाई लाईसेंस जारी होने के 90 दिवस में राशि नगर निगम, जोधपुर (दक्षिण) कोष में जमा करानी होगी। निर्धारित समय पर सम्पूर्ण ठेका राशि निगम कोष में जमा नहीं कराने पर ठेका स्वतः निरस्त हो जावेगा तथा ठेकेदार की जमा समस्त राशियां जब्त समझी जावेगी तथा ठेकेदार के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही अमल में लायी जावेगी।
06. प्रत्येक नयी बोली न्यूनतम सरकारी बोली अथवा पूर्व घोषित बोली से 5,000 के गुणांक में ही स्वीकार होगी। उदाहरण - 21,00,000 से 21,05,000/-
07. बोली दाता को पहचान के रूप में स्वयं के (आधार कार्ड, पहचान पत्र, लाईसेंस, पेन कार्ड) आदि जमा करवाना अनिवार्य होगा।
08. संवेदक द्वारा धरोहर राशि नकद, डिमाण्ड ड्राफ्ट, बैंकर चैक अथवा आरटीजीएस के जरिये जमा करा सकता है।
09. निर्धारित दरों से अधिक राशि वसूल करने पर अनुबन्ध निरस्त करने का अधिकार नगर निगम जोधपुर (दक्षिण) को होगा।
10. वाहन पार्किंग का ठेका किसी अन्य को सबलेट नहीं किया जायेगा।
11. पार्किंग स्थल पर वाहन सुरक्षा की सम्पूर्ण जिम्मेदारी बोलीदाता की होगी। वाहन गुम हो जाने पर बोलीदाता स्वयं व्यक्तिगत रूप से पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा।
12. स्वीकृत बोली के अतिरिक्त नियमानुसार देय (जी.एस.टी. एवं अन्य कर) का भुगतान करना होगा।
13. विभाग अधिकतम बोली को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं हैं। समिति की अनुशंसा पर बोली अस्वीकृत/निरस्त की जा सकेगी।
14. किसी प्रकार की प्रशासनिक स्वीकृति/अनुज्ञप्ति आवश्यक होने पर बोली दाता को प्राप्त करनी होगी। सभी कानूनी प्रावधानों का पालन करते हुए पार्किंग का संचालन करना होगा।
15. कार्यालय आदेश के सात दिन के भीतर 500 रु के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर अनुबन्ध निष्पादित करना होगा।
16. समय-समय पर निगम के अधिकृत अधिकारी निरीक्षण कर सकेंगे।
17. मल्टीलेवल पार्किंग भवन का रखरखाव संवेदक द्वारा किया जावेगा।

18. मल्टीलेवल पार्किंग भवन में किसी भी प्रकार की क्षति या हानि पहुंचने पर उसका व्यय संवेदक से वसूला जावेगा।
19. निगम द्वारा गांधी मैदान पार्किंग जिस अवस्था में है, उसी अवस्था में संचालन हेतु संवेदक को दिया जायेगा। पार्किंग के संचालन हेतु किसी प्रकार की सुधार/ मरम्मत की यदि आवश्यकता है तो संवेदक द्वारा निगम की पुर्वानुमति के पश्चात ही कराया जा सकेगा।
20. बोली दाता बोली लगाने से पुर्व पार्किंग का अवलोकन करने के पश्चात ही निलामी में भाग लें।
21. मल्टीलेवल पार्किंग के भवन के बिजली व अन्य रखरखाव के बिल संवेदक द्वारा भुगतान किये जावेंगे।
22. मल्टीलेवल पार्किंग भवन संरचना में किसी प्रकार की तोड़ फोड़ या बदलाव नहीं किये जा सकेंगे, अति आवश्यक होने पर निगम से नियमानुसार स्वीकृति लेने के पश्चात् ही कार्य कर सकेंगे।
23. मल्टीलेवल पार्किंग भवन में आपतकालीन स्थिती में उपयोग होने वाले समस्त अग्निश्मन का रखरखाव संवेदक द्वारा किया जायेगा।
24. संवेदक द्वारा मल्टीलेवल पार्किंग में लगे कर्मचारीयों को अग्निश्मन व अन्य आपातकालीन स्थितीयों से निपटने हेतु समय-समय पर प्रशिक्षण दिया जावेगा।
25. वाहन पार्किंग में लगे कर्मचारी व्यवसन मदिरा, धूम्रपान आदि का उपयोग नहीं कर सकेंगे।
26. वाहन पार्किंग मात्र बेसमेंट प्रथम व बेसमेंट द्वितीय में ही की जावेगी।
27. निर्धारित स्थल के अलावा अन्यत्र वाहन पार्किंग नहीं लगाया जायेगा। (MAP व निर्माण अनुसार) मात्र बेसमेंट प्रथम व बेसमेंट द्वितीय में ही पार्किंग की जावेगी।
28. किसी भी प्रकार के वाद की स्थिति में क्षेत्राधिकार जोधपुर होगा।
29. संवेदक द्वारा अधिकतम निम्न दरों से शुल्क वसूला जायेगा:—

समय	मोटर साईकिल/स्कूटर	चौपहिया वाहन
प्रथम एक घण्टा	20 / —	50 / —
द्वितीय घण्टा	30 / —	75 / —
तृतीय घण्टा	40 / —	95 / —
तृतीय घंटे पश्चात् अधिकतम 24 घंटे तक	10 रुपये प्रति घंटा अतिरिक्त शुल्क	15 रुपये प्रति घंटा अतिरिक्त शुल्क
मासिक पास	750 / —	1500 / —


 (अरुण कुमार पुरोहित)
 I.A.S.

आयुक्त
 नगर निगम जोधपुर दक्षिण

उक्त शर्तें मैंने पुर्ण रूप से पढ ली है,
 तथा इन पर मैं अपनी सहमति देता हूँ।

हस्ताक्षर— बोलीदाता

फर्म का नाम/पता.....

.....